Regd. No. CHD/0093/2012- 2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2014
(PHALGUNA 3, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 22nd February, 2014

No. 8—HLA of 2014/9.—The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 8—HLA of 2014

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Act, 2014. Short title.

Amendment of section 3 of Haryana Act 13 of 2013

2. In clause (a) of section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013, for *the figures, word and sign "30th June, 2009"*, *the figures, word and sign* "1st January, 2014" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013 (Haryana Act No. 13 of 2013) was enacted on 26-9-2013 for providing Civic Amenities and Infrastructures in declared Municipal areas wherein construction has taken place on more than 50% plots prior to 30-6-2009, subject to fulfillment of other conditions. So far, 875 colonies have been declared as Civic Amenities and Infrastructure Deficient Areas in the State.

It has been observed that there were large number of colonies/areas which did not fulfill the above parameters as on 30-6-2009. Subsequently these areas had new constructions resulting in fulfillment of criteria later on. It has, further, been felt necessary to give relief to people living in such areas. Hence, it is proposed that the cutoff date for notifying the civic amenities and infrastructure deficient areas may be changed to 1-1-2014 to provide essential civic amenities and infrastructure to such municipal areas.

SAVITRI JINDAL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana

Chandigarh :
The 22nd February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2014 का विधेयक संख्या 8 - एच0 एल0 ए0

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2014

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है।

हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (क) में, "30 जून, 2009" अंकों, शब्द तथा चिह्न के स्थान पर "प्रथम जनवरी, 2014" शब्द चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ऐसे घोषित नगरपालिका क्षेत्र जिनमे 30-6-2009 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटो पर निर्माण कार्य किया हुआ था, अन्य शर्तो की पूर्ति की दशा मे नागरिक सुविधायें तथा अवसंरचना प्रदान करने का प्रावधान बनाने के लिये हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों मे नागरिक सुखसुविधाओ तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2013 (हरियाणा अधिनियम संख्या 13, 2013), 26-9-2013 को अधिनियमित किया गया था। अब तक राज्य मे कुल 875 ऐसी कालोनियों को नागरिक सुविधायें तथा अपूर्ण पालिका क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

तथापि ऐसा पाया गया है कि अभी भी ऐसी कालोनिया क्षेत्र है जो 30-6-2009 तक निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करती थी परन्तु इन क्षेत्रो मे बाद में निर्माण हुये जिस कारण उपरोक्त क्षेत्रों ने निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किये। इसलिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि इन क्षेत्रो मे रहने वाले लोगो को राहत दी जाये। अतः यह प्रस्तावित है कि ऐसे अतिरिक्त पालिका क्षेत्रो मे भी जरूरी नागरिक सुखसुविधाये तथा अवसंरचना की सुविधा प्रदान करने हेतु अन्तिम तिथि 1-1-2014 कर दी जाये।

सावित्री जिन्दल,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़
दिनांक 22 फरवरी, 2014

शशिकांत कुमार
सचिव।

52046 H.V.S. -H.G.P., Chd